न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
15/18	एफएसएस एक्ट, 2006	04/07/2018

1. नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. देवकीनन्दन पुत्र राधेश्याम अग्रवाल उम्र 55 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी शुक्ला कॉलोनी नहर रोड पोस्ट गंगापुर सिटी मैसर्स रामप्रसाद भौरीलाल गोपालगंज पोस्ट गंगापुर सिटी। (मौके पर विक्रेता)
2. राधेश्याम गुप्ता पुत्र रामविलास जाति अग्रवाल निवासी शुक्ला कॉलोनी नहर रोड पोस्ट गंगापुर सिटी मैसर्स रामप्रसाद भौरीलाल गोपालगंज पोस्ट गंगापुर सिटी । (फर्म मालिक) (हजफ)
3. धर्मेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र ईश्वरी प्रसाद गर्ग मैसर्स हनी कॉपोरेशन 18 जवाहर नगर खण्डारी,थाना हरिपर्वत तहसील व जिला आगरा । (थोक विक्रेता)
4. योगेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मैसर्स साक्षी ट्रेडर्स सुनहरी कॉलोनी सदर बाजार पोस्ट एवं थाना मथुरा (उ0प्र0) (निर्माता फर्म मालिक)

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 26.04.2016 को समय 03:30 पी0एम पर मैसर्स रामप्रसाद भौरीलाल गोपालगंज पोस्ट गंगापुर सिटी पर पहूँचा। वहां पर देवकीनन्दन पुत्र राधेश्याम अग्रवाल उम्र 55 वर्ष जाति अग्रवाल उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता का परिचय लिया। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिती में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ चाय ,टांपिया,कॉफी, बिस्कूट, मसाले,हिंग एवं दूध पाउडर आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थे । दुकान की रेंक में खाद्य पदार्थ बांधानी हींग (ग्वाला) 50 ग्राम पैक की 50 पैक डिब्बीयॉं विक्रय हेतु रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच देने हेतु सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ बांधानी हींग (ग्वाला) के 50 ग्राम के 12 पैक डिब्बीयां बास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 557/– रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ बांधानी हींग (ग्वाला) 50 ग्राम पैक के 12 पैक को चार बराबर–बराबर भागों में बांधकर आवेदक द्वारा चार नमूना भाग तैयार किये। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये। जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया एवं प्रत्येक भाग को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लीप कमांक एच– 872 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षरक कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षकर कर चारों नमूने भागो को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजान्द लोधा सहा0 कर्मचारी द्वारा मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/1470 दिनांक 06.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुंख्य खाद्य विषलेषक जयपुर

की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1143/एक्ट/2016/1957 दिनांक 24.05.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बांधानी हींग (ग्वाला) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1143/एक्ट/2016/1957 दिनांक 24.05.2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण 1,3,4 मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण सं0 2 फौत हो जाने के कारण अभियुक्त सं0 2 का नाम हजफ किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवदेन किया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त को परेशान करने की गरज से उक्त केस बनाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं पाया गया है। उक्त प्रकरण केवल उक्त खाद्य पदार्थ की मियाद खत्म होने की दिनांक अंकित नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा उक्त केस बनाया गया है। जबकि उक्त मियाद खत्म की दिनांक में स्पष्ट रूप से 11 माह अंकित किया हुआ है। आवेदक द्वारा अभियुक्त सं0 2 से खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये थे। जबकि आवेदक द्वारा अभियुक्त सं0 1 को उक्त खाद्य पदार्थ कय का भी कोई भुगतान नहीं किया गया है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1143/एक्ट/2016/1957 दिनांक 24.05.2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1,3,4 को पृथक-पृथक रूप से 10000-10000 (दस-दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक. 12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी